<u>न्यायालय—सुश्री ओशी जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मऊगंज, जिला रीवा(म0प्र0)</u>

निर्णय तारीख—20.07.2026

Registration No.	RCT/660/2022
Filling No.	RCT/2073/2022
CNR No.	MP1705-003003-2022
Filling Date	11-11-2022
Registration Date	11-11-2022

<u>आरक्षी केन्द्र मऊगंज जिला रीवा (म.प्र.) के अपराध क्र. 389/2022 अंतर्गत धारा—294, 323, 325, 506 भाग—दो भा. दं.सं. से उद्भूत प्रकरण</u>।

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मऊगंज जिला रीवा (म.प्र.) **<u>.............अभियोगी</u>**

प्रतिनिधित्व द्वारा एडीपीओ श्रीमती अंजू सिंह चौहान वास्ते अभियोजन।

//बनाम//

01. राजेश साहू पिता रामदास साहू उम्र 40 वर्ष निवासी चकभाठी वार्ड क्र0—07 थाना मऊगंज जिला रीवा म0प्र0। **<u>............अभियुक्त</u>**

प्रतिनिधित्व द्वारा अधिवक्ता श्री विपिन मिश्रा वास्ते अभियुक्त।

अपराध की तारीख	19.06.2022
प्र.सू.रि. की तारीख	20.06.2022
अभियोग पत्र प्रस्तुति की तारीख	11.11.2022

आरोपों की विरचना की तारीख	25.04.2023
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	18.05.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	20.07.2026
निर्णय की तारीख	20.07.2026
दंडादेश यदि कोई हो, की तारीख	कुछ नहीं।

अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दंडादेश	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 दंप्रंसं के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भेजी गई निरोध की अवधि।
1.	राजेश साहू	निरंक	निरंक	धारा–294, 323, 325 एवं 506 भाग–दो भा.दं.सं	दोषमुक्ति	कुछ नहीं	कुछ नहीं।

अभियोजन साक्षियों की सूची

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
अ.सा.1	राजेन्द्र सिंह	विवेचक साक्षी
अ.सा.2	अश्विनी कुमार मिश्र	अन्य साक्षी

अभियोजन प्रदर्शों की सूची

स.क.	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**

1.	प्रदर्श पी–01 / अ.सा.01	प्रथम सूचना रिपोर्ट

निर्णय

(आज दिनांक 20.07.2026 को घोषित किया गया)

(1) अभियुक्त पर धारा–294, 323, 325 एवं 506 भाग–दो भा.दं.सं. के तहत इस आशय का आरोप है कि उसने दिनांक 19.06.2022 को समय रात्रि 07:00 बजे ग्राम चकभाठी, थाना मउगंज जिला रीवा में फरियादी के घर लोकस्थान में या उसके समीप फरियादी अर्चना साहू को मां–बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं उपहति कारित करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी अर्चना साहू को हाथ–मुक्कों व डण्डे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की और उपहति कारित करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी अर्चना साहू को डण्डे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की और फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

(2) अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी अर्चना साहू पति राजेश साहू उम्र 30 वर्ष निवासी चकभाठी थाना मउगंज जिला रीवा की थाना उपस्थित आकर जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 19.06.2022 को रात्रि 07:00 बजे उसकी तबियत खराब थी; वह चारपाई में लेटी थी तभी उसके पति राजेश साहू बाजार से आए और बोले कि तुम कुछ काम नहीं करती हो उसी बात को लेकर गाली–गुप्तार देने लगा उसे गाली देने से मना करने पर फरियादिया को हाथ–मुक्कों एवं डण्डे से मारपीट करने लगा। हल्ला–गोहार किया तो पड़ोस के अश्विनी ब्राम्हण एवं मुन्नालाल जायसवाल आकर बीच–बचाव किए तब यह कहते हुए चला गया कि आज तो बच गई हो दुबारा तुझे जान से खत्म कर दूंगा।

मारपीट से उसके दाहिने कान एवं बांए हाथ की नाड़ी एवं शरीर में अंदरूनी चोटें आई हैं। रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक 389/2022 अंतर्गत भा.द.सं. की धारा 294, 323 एवं 506 भाग–दो दर्ज किया गया। डॉक्टर की एक्सरे रिपोर्ट में फ्रैक्चर लेख होने से अभियुक्त के विरूद्ध धारा–325 भा.दं.सं. का इजाफा किया गया। प्रकरण की कायमी उपरांत विवेचना के तारतम्य में अभियुक्त को धारा 41(क) द.प्र.सं. की नोटिस देकर न्यायालय में उपस्थिति हेतु पाबन्द किया गया। घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया जाकर, साक्षीगण के कथन लेख किये गये। अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र 411/2022 दिनांक 28.09.2022 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

(3) अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों से इन्कार करते हुए स्वयं को झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है तथा बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया है।

(4) **प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैः–**

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 19.06.2022 को समय रात्रि 07:00 बजे ग्राम चकभाठी, थाना मउगंज जिला रीवा में फरियादी के घर लोकस्थान में या उसके समीप फरियादी अर्चना साहू को मां–बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित किया गया ?
2. क्या अभियुक्त द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपहति कारित करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी अर्चना साहू को हाथ–मुक्कों व डण्डे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई ?
3. क्या अभियुक्त द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उपहति कारित करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी अर्चना साहू को डण्डे से

मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की गई ?

4. क्या अभियुक्त द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया ?

विवेचना एवं सकारण निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न कमांक–01 लगायत 04 पर निष्कर्षः–

(5) अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षी राजेन्द्र सिंह **(अ.सा. 01)** ने अपने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि दिनांक 20.06.2022 को थाना मउगंज में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर रहते हुए फरियादिया अर्चना साहू द्वारा थाना मउगंज में अभियुक्त के खिलाफ हाथ–मुक्का व डण्डे से मारपीट करने, गाली गलौच करने एवं जान से खत्म करने की धमकी के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट की गई थी। उसने फरियादिया की रिपोर्ट पर थाने के अपराध क0–0389/22 अंतर्गत धारा 294, 323, 325 एवं 506 भाग–दो भा.दं.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जो **प्र0पी0–01** है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर फरियादिया का निशानी अंगूठा है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने प्रकरण में सिर्फ एफआईआर लिखने की कार्यवाही की गई है, प्रकरण की अन्य विवेचना उसके द्वारा नहीं की गई है।

(6) अभियोजन द्वारा परीक्षित अन्य साक्षी अश्विनी कुमार मिश्र **(अ.सा. 02)** ने अपने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की थी। साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि अभियुक्त ने उसके सामने फरियादी के साथ मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। इस प्रकरण में फरियादी अर्चना साहू की मृत्यु हो चुकी है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है। इस कारण फरियादी का

कथन नहीं कराया गया है। साथ ही अन्य किसी ऐसे साक्षी का कथन भी अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया है जिसने अभियुक्त द्वारा घटना कारित किया जाना प्रमाणित किया हो।

(7) इस प्रकार अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। उक्त आरोप अभियोजन द्वारा संदेह से परे प्रमाणित नहीं किये गये हैं। अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक–01 लगायत 04 का निष्कर्ष **नासाबित** के रूप में दिया जाता है।

(8) फलस्वरूप उपरोक्त विवेचना के आधार पर साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त **राजेश साहू पिता रामदास साहू उम्र 40 वर्ष निवासी चकभाठी वार्ड क्र0–07 थाना मऊगंज जिला रीवा म0प्र0** को धारा–294, 323, 325 एवं 506 भाग–दो भा.दं.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

(9) अभियुक्त के जमानत एवं मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

(10) अभियुक्त इस प्रकरण में एक भी दिन अभिरक्षा में नहीं रहा है। अतः इस संबंध में 428 सीआरपीसी का प्रमाणपत्र तैयार होकर अभिलेख में संलग्न हो।

(11) जप्तशुदा संपत्ति डण्डा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

मेरे निर्देशन पर टाइप किया गया।

OSHI JAIN

Digitally signed by OSHI JAIN
Date: 2026.07.20 16:22:47 +0530

सही/–
ओशी जैन
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मऊगंज, जिला रीवा(म0प्र0)